न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

राजाराम बनाम प्रवीण कुमार वगैरह

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 435/2025 (पुष्कर)

Rn 105
29/9/25

	श्री जगदीश चौधरी	
12.09.2025	राजाराम बनाम प्रवीण कुमार (2025/435) यह अपील श्री जगदीश चौधरी एडवोकेट ने विद्वान उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर द्वारा प्रकरण संख्या 49/2025 में पारित आदेश दिनांक 11.08.2025 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपील के साथ प्रार्थना पत्र स्थगन पेश किया गया। पत्रावली वास्ते सुनवाई प्रार्थना पत्र स्थगन दिनांक 16.09.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
16.09.2025	पत्रावली पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। पत्रावली वास्ते आदेशार्थ दिनांक 29.09.2025 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर	
29.09.2025	पत्रावली वास्ते आदेशार्थ पेश की गई। अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट को दिनांक 16.09.2025 को प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुना गया। अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त उनवानी प्रकरण में आदेश दिनांक 11.08.2025 गैर कानूनी रूप से पारित कर अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सीपीसी खारिज किया गया है तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा ग्राम चावण्डिया की आराजी खाता संख्या 160 कुल किता 4 रकबा 0.98 है के बाबत एकपक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश दिनांक 12.06.2025 गैर कानूनी रूप से पारित कर अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को उनकी आराजी के उपयोग उपभोग से बाधित किया गया है जो कि आदेश गैर कानूनी है और उक्त आराजी के उपयोग उपभोग करने से वंचित हो गये है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 12.06.2025 व 11.08.2025 की क्रियान्विति पर रोक लगाया जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम चावण्डिया की आराजी खाता संख्या 160 कुल किता 4 रकबा 0.98 है अपीलांट की खातेदारी आराजी के बाबत पारित आदेश दिनांक 12.06.2025 एव 11.08.2025 की पालना एवं प्रभाव को स्थगित किये जाने के आदेश न्यायहित में पारित करने की कृपा करे। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में सीजे सिविल 2024 (2) राजस्थान पेज 803, 2023 (2) सीजे सिविल राजस्थान पेज 1322, 2023 (2) सीजे सिविल राजस्थान पेज 1064, लॉ फाईण्डर स्पेशल सिविल याचिका 21747/2025 निर्णय दिनांक 11.08.2025 ,लॉ फाईण्डर सिविल याचिका	

लगातार

RAA

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

राजाराम बनाम प्रवीण कुमार वगैरह

किस्म मुकदमा— 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या 435 / 2025 (पुष्कर)

79 / 2025 निर्णय दिनांक 25.04.2025 डीएनजे (एस0सी0) पेज संख्या 370, 2020 (2) आर0आर0टी0 पेज 1122, 2024 (2) डीएनजे (रेवेन्यू) पेज 1324, 2023(2) डीएनजे (रेवेन्यू) पेज 1426, 2023(2) डीएनजे (रेवेन्यू) पेज 601 व अन्य न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र स्थगन पर की गई बहस पर मनन किया तथा प्रार्थना पत्र स्थगन, अपील, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश की प्रति एवं अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया। बाद अवलोंकन हमने पाया कि रेस्पोडेन्ट / प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया, जिसे दिनांक 12.06.2025 को रेस्पोडेन्ट / अप्रार्थी की एकपक्षीय बहस सुनी जाकर अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई। अपीलांट द्वारा दिनांक 11.08.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश किया। जिस पर दिनांक 11.08.2025 को उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 39 नियम 4 सपठित धारा 151 सीपीसी को खारिज कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विचाराधीन है। उक्त प्रार्थना पत्र का अंतिम निस्तारण भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ही किया जाना है। अतः हम पक्षकारान के आर्थिक व्ययता एवं समय को मध्येनजर रखते हुए अपील को बिना गुणावगुण पर टिप्पणी करते हुए इसी स्तर पर निर्णित कर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित करना उचित समझते है।

अतः अपील निर्णित की जाकर, प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि अप्रार्थी सरकार प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है को जवाब पेश करने हेतु एक अंतिम अवसर दिया जावें यदि जवाब प्रस्तुत नहीं करे तो जवाब बंद कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का 30 दिवस में गुणावगुण पर अंतिम निस्तारण आवश्यक रूप से करें। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

Ord - 16.9.25

न्यायालय श्रीमान् राजस्व अपील अधिकारी अजमेर

अपील आर.टी. एक्ट /संख्या....435........./2025 जिला अजमेर

2025/435

1. राजाराम पुत्र श्री रतनाराम, जाति माली, निवासी ग्राम चावण्डिया, तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

सुनिता भाटी पत्नी श्री प्यारेलाल भाटी, जाति माली निवासी लोहाखान अजमेर।

—अपीलार्थीगण

बनाम

1. प्रवीण कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर सेन, जाति नाई, निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
2. कमल पुत्र श्री कपूरचन्द, जाति नाई, निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
3. प्रेमदेवी पत्नी श्री श्यामसुन्दर जाति नाई, निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
4. प्रमिला उर्फ नौरती पत्नी श्री कपूरचन्द जाति नाई, निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
5. श्रीनिवास पुत्र श्री कपूरचन्द जाति नाई, निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
6. चम्पालाल पुत्र श्री नेमीचन्द, जाति नाई, निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर -- मृतक

   6/1 श्रीमती कमला

   6/2 प्रभूदयाल

   6/3 मधुसुदन

   तीनो जाति नाई, निवासीगण ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
7. शारदा पुत्री श्री कपूरचन्द जाति नाई, निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
8. संजु देवी पत्नी श्री श्यामसन्दर जाति नाई, निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

राजाराममाली

—2

Scanned with CamScanner

9. हेमन्त कुमार पुत्र श्री श्यामसुन्दर, जाति नाई, निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
10. हरीकिशन पुत्र श्री नेमीचन्द, जाति नाई, निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
11. पार्वती पुत्री श्री कपूरचन्द, जाति नाई, निवासी ग्राम चावण्डिया तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
12. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील पुष्कर जिला अजमेर।
13. शाखा प्रबन्धक बैंक ऑफ बडौदा गनाहेड़ा अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 11/08/2025 जो कि श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी पुष्कर जिला अजमेर द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या–49/2025 बउनवानी प्रवीण बनाम कमल व अन्य में पारित किया गया।

माननीय न्यायालय से अर्ज अपीलार्थीगण की ओर से निम्न निवेदन है कि–

यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट के द्वारा माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक राजस्व वाद धारा 53, 92–ए व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का ग्राम चावण्डिया की आराजी खसरा नम्बर 133, 138, 139 व 6 कुल किता 4 रकबा 0.9800 है0 का प्रस्तुत किया गया एवं उक्त वाद के सलंग्न रेस्पोडेंटस के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत किया गया एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के जरिए उक्त आराजी के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा गया।

माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 12/06/2025 को रेस्पोडेन्ट / प्रार्थीगण के एकपक्षीय बहस सुनी जाकर दिनांक 12/06/2025 को ग्राम चावण्डिया की आराजी खाता संख्या–160 कुल किता 4 रकबा 0.98 है0 भूमि की मौके व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखने के एकपक्षीय अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित कर अपीलार्थीगण/अप्रार्थीगण को पाबन्द किया गया।

माननीय अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कानून को ताक में रखकर एवं प्रावधानो का उल्लंघन कर एवं प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212

—3

राजारामभाली

Scanned with CamScanner